375

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या:1031/VII-2/15/61–एम0एस0एम0ई0/2015
देहरादून, दिनॉक:24 जुलाई, 2015

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–940–उद्योग/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 एवं शासनादेश संख्या–968/ औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 25 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्या:–1043 /उ0नि0(पांच)/2015–16 दिनांक 10 जून, 2015 के संदर्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या:–50/2003/सी0ई0 दिनांक 10 जून, 2003 एवं अधिसूचना संख्या 27/2005 सी0ई0 दिनांक 19 मई, 2005 के कम में **श्रीमती किरन जैन पत्नी श्री पुष्कर राज जैन, ग्राम शिमला पिस्तौर, पो0ऑ0 लालपुर, तहसील–रूद्रपुर, जनपद उधमसिंहनगर** की भूमि के **खसरा संख्या:–391/1मि0(वर्तमान खसरा संख्या:–497मि0)** को औद्योगिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1–इकाई द्वारा इस भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।
2–औद्योगिक प्रयोजन हेतु फैक्ट्री भवन निर्माण का प्लान सीडा से स्वीकृत कराना होगा।
3–इकाई के संचालन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
4–आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

2 उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबंधों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1031 (1) VII-2/15/61–एम0एस0एम0ई0/2015, तददिनांकित।
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं सम्वर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
8. निजी सचिव–मा0 मंत्री, लघु उद्योग, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
11. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उधमसिंहनगर।
12. श्रीमती किरन जैन पत्नी श्री पुष्कर राज जैन, ग्राम शिमला पिस्तोर, पो0आ0 लालपुर, तहसील–रूद्रपूर, जनपद–उधमसिंहनगर।
13. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव।

Sunil UO Letter